

स्थिरता नीति

विषयसूची

1. <u>परिचय</u>	2
2. <u>उद्देश्य</u>	2
3. <u>दायरा</u>	2
4. <u>दृष्टि</u>	2
5. <u>हमारी स्थिरता के स्तंभ</u>	2
6. <u>समीक्षा/संशोधन</u>	3

1. परिचय

इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ('कंपनी' या 'इंडियामार्ट') अपने सभी हितधारकों के लिए एक स्थायी वर्तमान और भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन में सही एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेन्स ('ईएसजी') प्रथाओं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियामार्ट सामाजिक विकास, जिम्मेदार व्यवसाय, पर्यावरणीय स्थिरता और व्यवसायों के डिजिटल समावेशन के सभी पहलुओं के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के साथ, IndiaMART का संचालन कंपनी की रणनीति, दृष्टिकोण और मिशन का प्रमाण है, जो सभी स्थिरता के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करना कंपनी की सतत विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

2. उद्देश्य

यह स्थिरता नीति एक व्यापक और रणनीतिक योजना है जो स्थिरता के लिए संगठन की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करती है और इसकी स्थिरता दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इस नीति के माध्यम से, हमारा लक्ष्य समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना है, साथ ही अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य भी बनाना है।

3. दायरा

यह नीति पूरी कंपनी पर लागू होती है।

4. दृष्टि

हमारा दृष्टिकोण सस्टेनेबल कल की दिशा में काम करना है सही वातावरण सामाजिक और शासन-अनुकूल पहल के माध्यम से

5. हमारी स्थिरता के स्तंभ

पर्यावरण, सामाजिक और शासन हमारी स्थिरता नीति के तीन स्तंभ हैं। ये तीन स्तंभ एक-दूसरे से जुड़े हुए और एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक स्थायी भविष्य हासिल करने के लिए ये सभी आवश्यक हैं।

(i) पर्यावरण:

- डिजिटल सक्षमता से डीकार्बोनाइजेशन हो रहा है
- पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की खोज एवं प्रचार-प्रसार
- पर्यावरण कुशल संचालन

(ii) सामाजिक:

- छोटे आपूर्तिकर्ताओं को बदलना
- छोटे शहर के खरीदारों को सशक्त बनाना
- कॉर्पोरेट सामाजिक पहलों से समुदायों को ऊर्जावान बनाना
- आर्थिक अवसर पैदा करें
- स्वास्थ्य और सुरक्षा पहल सहित कर्मचारियों का व्यापक विकास और वृद्धि

(iii) शासन:

- पारदर्शी, नैतिक, कुशल और जिम्मेदार शासन के प्रति प्रतिबद्धता
- मजबूत जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
- पारदर्शी और कुशल हितधारकों की सहभागिता

6. समीक्षा/संशोधन

यह नीति होगीबोर्ड द्वारा आवश्यकता पड़ने पर समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, विनियम प्रभावी होंगे। इस नीति पर. इस संबंध में विनियमों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।